



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN  
18 सस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,  
नई दिल्ली 110 016  
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg  
New Delhi 110 016  
Fax. 26514179 फोन TEL: 26858570  
website. www.kvsangathan.nic.in

फा.11029-11/2015-केवीएस(प्रशासन. I)Vol -II

दिनांक . 31 08 2017

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 30.03.2017 के समसूचक कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत 50 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर सप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु भूमि की पहचान कर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में हस्तांतरित कर दी जाती है। केन्द्रीय विद्यालय नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ उपरोक्त स्वीकृत 50 नए केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है।

चूंकि जिला प्रशासन ने भूमि का अधिपत्य केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष में दे दिया है अतः निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय पारम्भ करने के लिए तत्काल प्रभाव से आयुक्त महोदय की सस्वीकृति की जानवानी दी जाती है -

क्रम सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा
1	नया रायपुर, जिला रायपुर	C/o नाइट गेटलर बिल्डिंग, ग्राम राखी, सैक्टर - 25, नया रायपुर (छत्तीसगढ़)

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2017-18 के दौरान प्रारम्भ में कक्षा 1 से 5 तक (प्रत्येक कक्षा में 1 सेक्शन) संचालित होंगे और इसके पश्चात साध्यता के अनुसार कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इन विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर पूरी कर ली जाए।

(डॉ. ई. प्रभाकर)

सयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

वितरण,

1. राजनीय मानव ससाधन विकास मंत्री एवं अध्यक्ष, के विस के निजी सचिव।
2. सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) मास वि म एवं डिप्टी चैयरमैन के विस के वरिष्ठ पी पी एस
3. अपर सचिव (स्कूल शिक्षा) मास वि म एवं उपाध्यक्ष, के विस के वरिष्ठ पी पी एस।
4. आयुक्त, के विस के निजी सचिव।
5. अपर आयुक्त (प्रशा/शै.) के विस के निजी सचिव।
6. सयुक्त आयुक्त(शै.) के विस को इस अनुरोध के साथ की वे स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें।
7. उपायुक्त, के विस के नया रायपुर को इस अनुरोध के साथ कि वे संबन्धित प्राधिकारियों से संपर्क कर के वि को मंचालित करें। उनसे यह भी अनुरोध है कि यह स्कूल जिस ससदीय क्षेत्र में आता है उसका नाम भी रेकॉर्ड हेतु इस कार्यालय में भेजे।
8. प्रिन्सिपल मेक्रेटरी (शिक्षा) छत्तीसगढ़, रायपुर।
9. जिला कलेक्टर, रायपुर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
10. अधीक्षण अभियंता के विस को उनकी फाइल संख्या F 110111/377/2017-KVS(HQ)/Works दिनांक 24 08 2017 के संबंध में।
11. सचिव रीबीएसई, 2 कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली-92
12. के विस (मु) के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
13. उपायुक्त, के विस, सभी सभागोय कार्यालय।
14. निदेशक, के विस समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण आचलिक सस्थान।
15. उपायुक्त ई डी पी को के विस की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
16. अध्याक्ष/सचिव मान्यता प्राप्त स्टाफ सघ।
17. गार्ड फाइल।

\*\*\*\*



केन्द्रीय विद्यालय संगठन  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

18 सस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,

नई दिल्ली 110 016

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg

New Delhi 110 016

Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570

website:www.kvsangathan.nic.in

F 11029-11/2015-KVS (Admn -I)/Vol-II

Date 31 08 2017

### OFFICE-ORDER

Kendriya Vidyalaya Sangathan vide office-order of even number dated 30 03 2017, conveyed approval of Government of India, for establishing 50 new Kendriya Vidyalayas under Civil Sector with the stipulation that the sponsoring authority concerned is required to transfer the identified and demarcated land and also to give possession of the same to KVS prior to opening of the new Kendriya Vidyalaya **Kendriya Vidyalaya Naya Raipur, District Raipur, Chhattisgarh** is one of the 50 new Kendriya Vidyalayas sanctioned

Since the land in the matter of this Kendriya Vidyalaya has been transferred in favour of Kendriya Vidyalaya concerned, sanction of the Commissioner, KVS is hereby conveyed to start a new Kendriya Vidyalaya under Civil Sector with immediate effect, at the following location -

S.No.	Name of Kendriya Vidyalaya	Kendriya Vidyalaya will be made functional at:
1	Naya Raipur, District Raipur	C/o Night Shetalar Building, Village Rakhi, Sector-25, Naya Raipur (Chhattisgarh)

The above Vidyalaya will start functioning from class I to V (single section in each class) during the academic year 2017-18 and thereafter will grow consequently based on feasibility

The admission process may be completed within 30 days from the date of issue of this order


(Dr. E. Prabhakar)

Joint Commissioner (Pers.)

#### Distribution.-

- 1 PS to HRM-cum-Chairman, KVS
- 2 Sr PPS to Secretary (SE&L), MHRD-cum-Deputy Chairman, KVS
- 3 Sr PPS to Additional Secretary (SE), MHRD-cum-Vice-Chairperson, KVS
- 4 PS to Commissioner, KVS
- 5 PS to Additional Commissioner (Admn / Acad), KVS
- 6 Joint Commissioner (Acad), KVS Hqrs with the request to issue staff sanction order
- 7 The Deputy Commissioner, KVS, Regional Office, Raipur with the request to liaison with the sponsoring authority and make the KV functional He is also requested to inform the name of **Parliamentary Constituency** in which this school falls, for record of this office
- 8 The Principal Secretary (Education), Govt of Chhattisgarh, Raipur
- 9 The District Collector, District Raipur, Chhattisgarh for information
- 10 The Superintending Engineer, KVS w r t note F 110111/377/2017-KVS(HQ)/Works dated 24 08 2017
- 11 Secretary, CBSE, 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi-92
- 12 All Officers/Sections, KVS Hqrs
- 13 Deputy Commissioner, KVS, All Regional Offices
- 14 Director, all ZIETs, KVS
- 15 The Deputy Commissioner (EDP), KVS to upload the order on KVS website
- 16 President/ General Secretary, recognized KVS Staff Associations
- 17 Guard File

\*\*\*\*\*



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

18 सरथागत क्षेत्र, शाहीद जीत सिंह मार्ग,

नई दिल्ली 110 016

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg  
New Delhi 110 016

Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570

website: www.kvsangathan.nic.in

फा. 11029-11/2015-केवीएस(प्रशासन. I)/Voi -II

दिनांक : 31 08 2017

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 30 03.2017 के समसख्यक कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत 50 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर सप्रेषित किया गया था कि सबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु भूमि की पहचान कर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष से हस्तांतरित कर दी जाती है। केन्द्रीय विद्यालय रेलवे कॉलोनी, एसई रेलवे खडगपुर जिला पश्चिम मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल अपरोक्त स्वीकृत 50 नए केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है।

उक्त जिला प्रशासन ने भूमि का अधिपत्य केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष में दे दिया है अतः निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ करने के लिए तत्काल प्रभाव से आयुक्त मन्त्रोदय की सार्थकृति की जानकारी दी जाती है --

क्र.सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा
1	रेलवे कॉलोनी, एसई रेलवे खडगपुर, जिला पश्चिम मेदिनीपुर	C/o एस.ई. रेलवे मिक्सड हाइ स्कूल, नई सेटलमेंट रेलवे कॉलोनी, पोस्ट ऑफिस खडगपुर, जिला पश्चिम मेदिनीपुर -721301 (पश्चिम बंगाल)

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2017-18 के दौरान प्रारंभ में कक्षा 1 से 5 तक (प्रत्येक कक्षा में 1 सेटशन) संचालित होंगे और इसके पश्चात साध्यता के अनुसार कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इन विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर पूरी कर ली जाए।

(डॉ. ई. पद्मकर)

संयुक्त आयुक्त (कार्यिक)

वितरण

- माननीय मानव ससाधन विकास मंत्री एवं अध्यक्ष, के विस के निजी सचिव।
- सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) मा स वि म एवं डिप्टी चैंयरमैन के विस के वरिष्ठ पी पी एस
- अपर सचिव (स्कूल शिक्षा) मा स वि म एवं उपाध्यक्ष, के विस के वरिष्ठ पी पी एस।
- आयुक्त, के विस के निजी सचिव।
- अपर आयुक्त (प्रशा/शै.) के विस के निजी सचिव।
- संयुक्त आयुक्त(शै.) के विस को इस अनुरोध के साथ ली वे म्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें।
- उपायुक्त, के विस क्षेत्र का कोलकाता को इस अनुरोध के साथ कि वे सबन्धित प्राधिकारियों से संपर्क कर के वि को संचालित करें। उनसे यह भी अनुरोध है कि यह स्कूल जिस ससदीय क्षेत्र में आता है उसका नाम भी रेकॉर्ड हेतु इस कार्यालय में भेजे।
- प्रिन्सिपल सेक्रेटरी (शिक्षा) पश्चिम बंगाल, कोलकाता।
- जिला कलेक्टर, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल को सूचनाार्थ।
- अधीक्षक अभियंता के विस को उनकी फाइल संख्या F 110111/387/2017-KVS(HQ)/Works दिनांक 22 08 2017 के संदर्भ में।
- सचिव सीबीएसई, 2 कंप्यूनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली-92
- के विस (मु) के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
- उपायुक्त, के विस, सभी सभागीय कार्यालय।
- निदेशक, के विस समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण आचलिक संस्थान।
- उपायुक्त डे डी पी को के विस की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
- अधीक्षक/सचिव मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
- गार्ड फाइल।



केन्द्रीय विद्यालय संगठन  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN  
18 रास्थामत क्षेत्र, शाहीद जीत सिंह मार्ग,  
नई दिल्ली 110 016  
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg  
New Delhi 110 016

Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570

website: www.kvsangathan.nic.in

Date 31 08 2017

F 11029-11/2015-KVS (Admn -I)/Vol-II

### OFFICE-ORDER

Kendriya Vidyalaya Sangathan vide office-order of even number dated 30 03 2017, conveyed approval of Government of India, for establishing 50 new Kendriya Vidyalayas under Civil Sector with the stipulation that the sponsoring authority concerned is required to transfer the identified and demarcated land and also to give possession of the same to KVS prior to opening of the new Kendriya Vidyalaya. **Kendriya Vidyalaya Railway Colony, SE Railway Kharagpur, District Paschim Medinipur, West Bengal** is one of the 50 new Kendriya Vidyalayas sanctioned.

Since the land in the matter of this Kendriya Vidyalaya has been transferred in favour of Kendriya Vidyalaya concerned, sanction of the Commissioner, KVS is hereby conveyed to start a new Kendriya Vidyalaya under Civil Sector with immediate effect, at the following location -

S.No.	Name of Kendriya Vidyalaya	Kendriya Vidyalaya will be made functional at:
1	Railway Colony, SE Railway Kharagpur. District Paschim Medinipur.	C/o S.E. Railway Mixed High School, New Settlement Railway Colony, Post Office - Kharagpur, District - Paschim Medinipur- 721301 (West Bengal).

The above Vidyalaya will start functioning from class I to V (single section in each class) during the academic year 2017-18 and thereafter will grow consequently based on feasibility.

The admission process may be completed within 30 days from the date of issue of this order.

(Dr. E. Prabhakar)  
Joint Commissioner (Pers.)

#### Distribution:-

- 1 PS to HRM-cum-Chairman, KVS
- 2 Sr PPS to Secretary (SE&L) MHRD-cum-Deputy Chairman, KVS
- 3 Sr PPS to Additional Secretary (SE), MHRD-cum-Vice-Chairperson, KVS
- 4 PS to Commissioner, KVS
- 5 PS to Additional Commissioner (Admn / Acad), KVS
- 6 Joint Commissioner (Acad), KVS Hqrs with the request to issue staff sanction order
- 7 The Deputy Commissioner, KVS, Regional Office, Kolkata with the request to liaison with the sponsoring authority and make the KV functional. He is also requested to inform the name of **Parliamentary Constituency** in which this school falls, for record of this office.
- 8 The Principal Secretary (Education), Govt of West Bengal, Kolkata
- 9 The District Collector, District Paschim Medinipur, West Bengal for information
- 10 The Superintending Engineer, KVS w r t note F 110111/387/2017-KVS(HQ)/Works dated 22 08 2017
- 11 Secretary, CBSE, Community Centre Preet Vihar, Delhi-92
- 12 All Officers/Sections, KVS Hqrs
- 13 Deputy Commissioner, KVS, All Regional Offices
- 14 Director, all ZIETs, KVS.
- 15 The Deputy Commissioner (EDP), KVS to upload the order on KVS website
- 16 President/ General Secretary, recognized KVS Staff Associations
- 17 Guard File

\*\*\*\*\*